रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 43] नई दिल्ली, अक्तूबर 21—अक्तूबर 27, 2018, शनिवार/आश्विन 29—कार्तिक 5, 1940
No. 43] NEW DELHI, OCTOBER 21—OCTOBER 27, 2018, SATURDAY/ASVINA 29— KARTIKA 5, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 351.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग स्टाफ कार ड्राईवर समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्टाफ कार ड्राइवरों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग स्टाफ कार ड्राईवर, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 मे विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण , वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. स्टाफ कार ड्राईवर श्रेणी-I	6* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-5 (29200-92300 रु.)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) मे स्तर-4 में संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर जिन्होंने श्रेणी-II में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राईवर श्रेणी-II और स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) दोनों में मिलाकर पन्द्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण की हो । **प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर :— (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद या इसके समतुल्य पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) मे स्तर 4 में स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित आधार पर छः वर्ष की सेवा की है; और (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उपसचिव (प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. अवर सचिव (साधारण), संघ लोक सेवा आयोग — सदस्य 3. अवर सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग — सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. स्टाफ कार ड्राईवर श्रेणी-II	5* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (25500-81100 रु.)

(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) मे स्तर-2 में संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उपसचिव (प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. अवर सचिव (साधारण), संघ लोक सेवा आयोग — सदस्य 3. अवर सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग — सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी)	5* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रु.)

(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच

	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, केन्द्र शासित अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यथियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)
(i) जिसके पास मोटर कार चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति हो; (ii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थियों को मोटर यानों में भी छोटी-छोटी त्रुटियों को ठीक करने में समर्थ होना चाहिए; (iii) कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये, सक्षम प्राधिकारी के विवेकनुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये, सक्षम प्राधिकारी के विवेकनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता

(9)	(10)
सीधे भर्ती या पुनर्नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । **सशसत्र सैनिक बलों के लिए :** प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन

(11)
अ -प्रतिनियुक्ति या आमेलन : संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कार्यरत ऐसे नियमित सवार हरकारा और बहुकार्य कर्मचारीवृदों में से जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हताएं पूर्ण करता हो, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा या नियमित बहुकार्य कर्मचारीवृंद या समतुल्य पद धारण करने वाले ऐसे पदाधिकारियों से जो स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हता पूरी करता हो।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

आ-प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं हैं और यदि चयनित हो जाते है तो, ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे पात्र व्यक्तियों की दशा में जो पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :— 1. उपसचिव (प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. अवर सचिव (साधारण), संघ लोक सेवा आयोग — सदस्य 3. अवर सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग — सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 39021/11/2012-स्था. (ब)]

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd October, 2018

G.S.R. 351.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission Staff Car Drivers Group 'C' posts Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Office of the Union Public Service Commission, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Staff Car Driver, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the post, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver Grade-I	6* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 (Rs. 29200-92300)

Whether Selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(5)	(6)
Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Staff Car Driver Grade-II in the level 4 of pay matrix (Rs. 25500-81100) working in the Office of the Union Public Service Commission with six years' regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Central Government. **Deputation:** Staff Car Driver in other Ministries of the Central Government— (a) (i) holding analogous posts on regular basis or equivalent; or (ii) having six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the grade of Staff Car Driver Grade-II in the level 4 of pay matrix (Rs. 25500-81100);

	and (b) subject to passing of the trade test specified by the Central Government. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Deputy Secretary (Administration), Union Public Service Commission —Chairman 2. Under Secretary (General), Union Public Service Commission —Member 3. Under Secretary (Recruitment), Union Public Service Commission —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Staff Car Driver Grade-II	5* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 (Rs. 25500-81100)

(5)	(6)
Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion	**Promotion:-** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 of pay matrix (Rs. 19900-63200) working in the office of Union Public Service Commission with nine years regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Deputy Secretary (Administration), Union Public Service Commission —Chairman 2. Under Secretary (General), Union Public Service Commission —Member 3. Under Secretary (Recruitment), Union Public Service Commission —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	5* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level - 2 (Rs.19900-63200)

(5)	(6)
Not-applicable	Between Eighteen and Twenty-five years (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagland, Tripura, Sikkim, Ladhak Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Panghi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.

(7)	(8)	(9)
(i) possession of valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidates should be able to remove minor defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) 10^{th} Standard pass. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Competent, authority in the case of candidates otherwise well qualified **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them	Not applicable	Two years for Direct Recruits or re-employed

(10)	(11)
Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment	**A. Deputation or Absorption:** From amongst the regular Despatch Rider and Multi Tasking Staff working in the office of the Union Public Service Commission who fulfil the qualification as mentioned for direct recruits in column (7), failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Multi-Tasking Staff or equivalent in other Ministries of the Central Government who fulfil the qualifications as mentioned for direct recruits in column (7).

	For Armed Forces Personnel:— **B. Deputation or Re-employment:—** The Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience mentioned for direct recruits in column (7) shall also be considered and if selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Deputy Secretary (Administration), Union Public Service Commission —Chairman 2. Under Secretary (General), Union Public Service Commission —Member 3. Under Secretary (Recruitment), Union Public Service Commission —Member	Not applicable.

[F. No. 39021/11/2012 -Estt.(B)
PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि.352.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी, श्रेणी-2 और श्रेणी-1) भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरम्भिक गठन.—(1) इन नियमों के प्रवर्तन होने से ठीक पूर्व नियमित आधार पर स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) पद धारण करने वाले कार्मिक, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए समझे जाएंगे।